मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 13/1/2023

क्रमांक एफः 3-69/2013/10-1 : उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.06.2013 को आयोजित की गई थी। उक्त की पुनर्विचार बैठक दिनांक 28.12.2022 को आयोजित की गई।

2/ वन विभाग के पत्र क्र. एफ-3-34/2016/10-1 दिनांक 30.03.2017 द्वारा तत्समय प्रचलित भर्ती, नियम अनुसार वर्ष 2001 के पूर्व वनरक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने वाले 14 वनरक्षक जिन्हें वनपाल प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा सका, काल्पनिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण दिनांक से वनपाल के पद पर वरीयता निर्धारित करने की स्वीकृति जारी की गई। जिसमें श्री रामकृष्ण मरावी, वनरक्षक को दिनांक 01.11.2002 से वनपाल पद पर वरीयता देने बावत स्वीकृति प्रदान की गई।

3/ मुख्य वन संरक्षक मध्य वृत्त जबलपुर के आदेश क्रमांक 159, दिनांक 10.08.2017 से वनपाल संवर्ग में दिनांक 01.11.2001 से वरीयता निर्धारित की गई एवं मुख्य वन संरक्षक जबलपुर के आदेश क्रमांक 246, दिनांक 05.12.2017 द्वारा श्री रामकृष्ण मरावी को उप वनक्षेत्रपाल के पद पर जबलपुर वृत्त में उनसे कनिष्ठ वनपाल के उप वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 26.09.2009 से "कार्य नहीं वेतन नहीं" सिद्धांत पर पदोन्नति/वरीयता निर्धारित की गई।

4/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/क्षे. स्था.-1/2021/20, दिनांक 11.01.2021 द्वारा मुख्य वन संरक्षक जबलपुर के आदेश क्रमांक 246, दिनांक 05.12.2017 द्वारा उप वनक्षेत्रपाल के पद पर दिनांक 26.09.2009 से प्रदान की गई वरीयता को मान्य कर राज्य स्तरीय उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में जारी वरीयता सूची में श्री रामकृष्ण मरावी (अ.ज.जा.वर्ग) को वरीयता क्रमांक 216 श्री तीरथ प्रसाद खानडे (अ.ज.जा.वर्ग) से नीचे तथा वरीयता क्रमांक 217 पर श्री बुधराम टेकाम (अ.ज.जा.वर्ग) के ऊपर वरीयता क्रमांक "216 ए" पर वरीयता निर्धारित की गई।

निरन्तर......2

5/ उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में जारी वरीयता सूची के आधार पर उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.06.2013 की अनुशंसा अनुसार मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ. 3-69/2013-10-1, दिनांक 04.09.2013 द्वारा वरीयता क्रमांक 216 श्री तीरथ प्रसाद खानडे (अ.ज.जा. वर्ग) एवं वरीयता कमांक 217 श्री बुधराम टेकाम (अ.ज.जा. वर्ग) की उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दी गई। अतः श्री रामकृष्ण मरावी (अ.ज.जा.वर्ग), उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री बुधराम टेकाम (अ.ज.जा.वर्ग) के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 04.09.2013 से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति की पात्रता आती है।

6/ उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 28.12.2022 में श्री रामकृष्ण मरावी, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री बुधराम टेकाम के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 04.09.2013 से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया।

7/ यह उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/ 401/300/2010/3/एक दिनांक 09 अप्रैल 2019 द्वारा सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग को दिये गये विधिक अभिमत अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के पूर्व के डी.पी.सी. के आधार पर पदोन्नति के संबंध में निर्णय लिये जाने में बाधक नहीं है।

DOB- 10.9.1968

8/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रामकृष्ण मरावी, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री बुधराम टेकाम के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 04.09.2013 से वनक्षेत्रपाल के पद पर ''कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर'' वेतनमान पी.बी. रूपये 9300-34800+ ग्रेडपे 3600 (छठवां वेतनमान) में पदोन्नत करते हुये बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया में पदस्थ करता है।

9/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर पंजी में पदोन्नति प्रविष्टी नहीं की गई है क्योंकि वर्तमान में पदोन्नति नियम 2002 अस्तित्व में नहीं है।

2023 H.S. Ahirwar

निरन्तर.....3

10/ उपरोक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा(सेवा भर्ती शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये होगी। पदोन्नत पद पर वेतन निर्धारित करने के लिए पदोन्नत अधिकारी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 8/2009/नियम-4 दिनांक 23.03.2009 के अनुसार अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक एफ 3-69/2013/10-1 भोपाल, दिनांक 1/03/2023

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
(2) सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(4) विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
(6) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी.......................................
(7) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(8) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(9) संबंधित श्री रामकृष्ण मरावी, वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
(10) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल</u>

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 1 /03/2023

क्रमांक एफः 3-24/2015/10-1 : उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 को आयोजित की गई थी। उक्त की पुनर्विचार बैठक दिनांक 20.01.2023 को आयोजित की गई।

2/ वन विभाग के पत्र क्र. एफ-3-34/2016/10-1 दिनांक 30.03.2017 द्वारा तत्समय प्रचलित भर्ती नियम अनुसार वर्ष 2001 के पूर्व वनरक्षक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होने वाले 14 वनरक्षक जिन्हें वनपाल प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा सका, काल्पनिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण दिनांक से वनपाल के पद पर वरीयता निर्धारित करने की स्वीकृति जारी की गई। जिसमें श्री गुलवीर सिंह, वनरक्षक को दिनांक 01.11.2002 से वनपाल पद पर वरीयता देने बावत स्वीकृति प्रदान की गई।

3/ मुख्य वन संरक्षक मध्य वृत्त जबलपुर के आदेश क्रमांक 159, दिनांक 10.08.2017 से वनपाल संवर्ग में दिनांक 01.11.2002 से वरीयता निर्धारित की गई एवं मुख्य वन संरक्षक जबलपुर के आदेश क्रमांक 246, दिनांक 05.12.2017 द्वारा श्री गुलवीर सिंह को उप वनक्षेत्रपाल के पद पर जबलपुर वृत्त में उनसे कनिष्ठ वनपाल के उप वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 26.09.2009 से ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' सिद्धांत पर पदोन्नति/वरीयता निर्धारित की गई।

4/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/क्षे.स्था.-1/2021/25, दिनांक 11.01.2021 द्वारा मुख्य वन संरक्षक जबलपुर के आदेश क्रमांक 246, दिनांक 05.12.2017 द्वारा उप वनक्षेत्रपाल के पद पर दिनांक 26.09.2009 से प्रदान की गई वरीयता को मान्य कर राज्य स्तरीय उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में जारी वरीयता सूची में श्री गुलवीर सिंह को वरीयता क्रमांक 209 श्री रामकिशोर द्विवेदी से नीचे तथा अनुक्रमांक 210 पर श्री गुरूप्रसाद मिश्रा के ऊपर वरीयता क्रमांक ''209 बी'' पर वरीयता निर्धारित की गई।

5/ उप वनक्षेत्रपाल की दिनांक 01.04.2014 की स्थिति में जारी वरीयता सूची के आधार पर उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.09.2015 की अनुशंसा अनुसार वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 3-24/2015-10-1, दिनांक 28.11.2015 द्वारा वरीयता कमांक 209 श्री रामकिशोर द्विवेदी तथा वरीयता कमांक 211 श्री राकेश भार्गव को उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दी गई। अतः श्री गुलवीर सिंह, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री राकेश भार्गव के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति की पात्रता आती है।

निरन्तर.........2

6/ उप वनक्षेत्रपाल से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विचार बैठक दिनांक 20.01.2023 में समिति द्वारा श्री गुलवीर सिंह, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री राकेश भार्गव के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करने हेतु योग्य पाया गया।

7/ यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 401/300/2010/3/1, दिनांक 09 अप्रैल 2019 द्वारा सचिव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर को अभिमत दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के पूर्व की डी.पी.सी. के आधार पर निर्णय लिये जाने की बाध्यता नहीं है।

8/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गुलवीर सिंह, उप वनक्षेत्रपाल को उनके कनिष्ठ श्री राकेश भार्गव के वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति दिनांक 28.11.2015 से वनक्षेत्रपाल के पद पर **''कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर''** वेतनमान पी.बी. रूपये 9300-34800 + ग्रेडपे 3600 (छठवां वेतनमान) पदोन्नत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) सतपुड़ा भवन, भोपाल
पत्र क्र. 66
दिनांक 3/3/2023

पृ0 :एफ03-24/2015/10-1

भोपाल, दिनांक 1 /03/2023

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी वन म0प्र0 भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-II), म0प्र0 भोपाल।
5. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
7. संबंधित वनक्षेत्रपाल द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा.-II),म.प्र. भोपाल।
8. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग